न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी – ओम प्रकाश सिंह चौहान)

....

दांडिक अपील कमांक–110/18
संस्थित दिनांक–21.05.2018

श्याम लाल आत्मज महादेव प्रसाद कश्यप उम्र–65 वर्ष,
निवासी–तेलीपारा, थाना–सिटी कोतवाली,
जिला–बिलासपुर (छ0ग0) ––––––**अपीलार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

छ0ग0 शासन,
द्वारा :–थाना सिविल लाईन
जिला बिलासपुर (छ0ग0) –––––––**उत्तरवादी/अभियोजन**

श्रीमती गंगा पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बिलासपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण कमांक 387/08 (छ0ग0 राज्य वि0 श्यामलाल) में घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 24.04.2018 से उद्भूत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (3) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973।

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा श्री अनुराग बाजपेयी अधिवक्ता।
उत्तरवादी/शासन द्वारा श्री भागवत साहू, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 19.02.2019 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह दाण्डिक अपील **श्रीमती गंगा पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बिलासपुर** द्वारा दाण्डिक प्रकरण कमांक 387/08 (छ0ग0 राज्य वि0 श्यामलाल) में घोषित निर्णय एवं

दण्डादेश दिनांक 24.04.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा–466, 476, 474 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में क्रमशः तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹ 500– 500/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में अभियुक्त को प्रत्येक अपराध के संबंध में 03–03 माह के कारावास की सजा पृथक से भुगताये जाने बाबत् आदेशित किया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय के दा0प्र0क्रं0 3609/03 (शा0 वि0 प्रवीण केसरी वगै0) में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय से जमानत आदेश क्रं0–1924/03 दिनांक 05/11/2003 द्वारा अभियुक्तगण को 8–8 हजार रूपये पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया था, जिसमें जमानतदार के रूप में अभियुक्त श्यामलाल द्वारा उपस्थित होकर कूटरचित एवं फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर झूठे शपथपत्र सहित फर्जी ऋण पुस्तिका क्रमांक 92242 प्रस्तुत की गई, जिस पर संदेह होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर छ0ग0 द्वारा ज्ञापन क्रमांक क्यू/सीजेएम/03 बिलासपुर दिनांक 05.11.2003 को लेकर न्यायालय के कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक क्र.1033 होली सिंह को थाना सिविल लाईन प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने हेतु भेजा गया। आरक्षक होली सिंह द्वारा उक्त ज्ञापन थाना सिविल लाईन में लाकर प्रस्तुत किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन द्वारा अपराध क्रमांक 827/03 अंतर्गत धारा–420, 419 भा.दं.सं0 पंजीबद्ध किया गया एवं

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा धारा 466, 476, 474/466 एवं 468/471 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत लगाये गये आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का अनुरोध किया गया। अपने बचाव में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह व्यक्त किया गया कि वह निर्दोष है एवं उसे झूठा फंसाया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा अभियोजन साक्षियों को परीक्षित करने एवं साक्ष्य की विवेचना के पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा– 466, 476, 474 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी पाते हुये आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं दण्डादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गुण–दोष पर आधारित नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण शासन बनाम प्रवीण केसरी वगैरह में प्रस्तुत शपथपत्र को प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया है, जिस पर से प्रस्तुत ऋण पुस्तिका किस व्यक्ति के द्वारा जमानत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह प्रमाणित नहीं होता। प्रकरण में विवेचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी श्याम लाल का कोई मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध नहीं किया गया है, जिस पर से ऋण पुस्तिका किसके द्वारा तैयार किया गया है,

वह प्रमाणित नहीं होता, ऐसी स्थिति में पारित निर्णय अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ऋण पुस्तिका पेश नहीं की गई है तथा उसकी हस्तलिपि विशेषज्ञ से भी जांच नहीं कराई गई है। प्रकरण में तथाकथित तहसीलदार का भी कथन न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध नहीं किया गया है। प्रकरण में तथाकथित जिनके नाम से भूमि होना बताया गया है, उनका कथन लेखबद्ध नहीं किया गया है। जमानतदार के रूप में शासन बनाम प्रवीण केसरी वगैरह में जमानत नामा पेश किया जाना बताया गया है, परंतु उस प्रकरण के किसी भी अभियुक्तगण को गवाह नहीं बनाया गया है।

5. अपील में यह भी आधार लिया गया है कि आवेदक/अपीलार्थी के प्रकरण में शपथपत्र जमानतनामा के रूप में पेश किया जाना बताया गया है, जिस पर से धारा 205 भा.दं.वि. के न्यायालय के समक्ष जमानतनामा के रूप में शपथपत्र पेश किये जाने पर उक्त धारा का प्रावधान अर्थात् 205 भादंसं. का अपराध बना स्पष्ट होता है जिस पर से धारा 466, 476, 474 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता में दंडित किया जाना अनुचित स्पष्ट होता है। आवेदक/अपीलार्थी के प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जमानतनामा पेश किया जाना बताया गया है, परंतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थ पीठासीन अधिकारी का कथन लेखबद्ध नहीं किया गया है। अपीलार्थी के प्रकरण में प्रार्थी होलीसिंह को होना बताया गया है, जिनका कथन माननीय एच.के.रात्रे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में कथन लेखबद्ध किया गया है और उक्त आरक्षक इसी न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिर के पद पर

पदस्थ रहा, जिस पर से माननीय पीठासीन अधिकारी को उक्त कथन लेखबद्ध नहीं करना चाहिये। आवेदक/अपीलार्थी के प्रकरण में एकमात्र साक्षी होली सिंह के कथनों के आधार पर तथा विवेचना अधिकारी के कथन के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जबकि स्वतंत्र साक्षी एवं जप्ती के गवाह ऋषि मुखर्जी एवं राजकुमार ठारवानी दोनों साक्षियों के द्वारा अपीलार्थी को पहचानने से इंकार किया गया है और उनके समक्ष किसी प्रकार की जप्ती नहीं होना भी बताया गया है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 24.04.2018 निरस्त किया जाकर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. इस दाण्डिक अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि **क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 24.04.2018 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने या अपास्त किये जाने का कोई आधार है?**

–: निष्कर्ष के आधार –:

7. विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अभियोजन की ओर से प्रकरण में साक्षी ऋषि मुखर्जी (अ0सा0क01), राजकुमार(अ0सा0क02), रघुनंदन प्रसाद साहू(अ0सा0क03), आरक्षक होली सिंह(अ0सा0क04) एवं उपनिरीक्षक रोशनी वासनिक(अ0सा0क05) का कथन

न्यायालय में कराया गया है।

8. साक्षी **होली सिंह (अ0सा0क04)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि घटना वर्ष 2003 की है, वह घटना के समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिर के रूप में कार्य कर रहा था। आरोपी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दांडिक प्रकरण में जमानत लेने के लिये आया था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के न्यायालय में जमानत आवेदन क्रमांक 1924/03 दिनांक 05.11.2003 को अभियुक्त प्रवीण केसरी वगैरह को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया था, जिसमें आरोपी जमानतदार श्यामलाल द्वारा कूटरचित एवं फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर झूठा शपथपत्र पेश किया गया था। उक्त बाबत् सीजेएम द्वारा ज्ञापन क्रमांक क्यू/सीजेएम/03 बिलासपुर दिनांक 05.11.2003 देकर कहा गया कि आरोपी श्यामलाल के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करावे तथा वह ऋण पुस्तिका एवं ज्ञापन लेकर थाना सिविल लाईन गया था और उक्त ज्ञापन के परिपालन में थान सिविल लाईन द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 3609/03 शासन विरूद्ध प्रवीण केसरी वगैरह में जमानतदार के रूप में उपस्थित श्यामलाल वल्द महोदव, निवासी तेलीपारा बिलासपुर के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत् उसके द्वारा थाना सिविल लाईन में एफआईआर दर्ज कराया गया था।

9. इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि शासन विरूद्ध प्रवीण केसरी वगैरह के प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से

जमानतदार के रूप में श्यामलाल को प्रस्तुत कर भूमि के संबंध में ऋण पुस्तिका क्रमांक 92242 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें तस्दीक के समय ऋण पुस्तिका संदिग्ध एवं कूटरचित पाया गया क्योंकि ऋण पुस्तिका पृष्ठ क्रमांक 32 में छपने की तारीख माह सितम्बर, 1994 अंकित है, जबकि ऋण पुस्तिका में पटवारी एवं तहसीलदार माह अगस्त 1992 में हस्ताक्षर होना दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया कूटरचित फर्जी ऋण पुस्तिका एवं शपथपत्र प्रस्तुत करने पर उसे एफआईआर कराये जाने बाबत् ज्ञापन दिया गया था। उसके द्वारा दर्ज कराई गई **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.4** है। पुलिस वाले ऋण पुस्तिका क्रमांक 92242 को जप्त किये थे। **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.1** है। **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.4** के अवलोकन से इस साक्षी के कथन की पुष्टि होती है तथा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के कथनों का कोई खंडन नहीं हो सका है।

10. अभियोजन साक्षी **रघुनंदन प्रसाद साहू(अ0सा0क03)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 25.02.2003 से 13.10.2009 तक प.ह.नं. 21 में **हल्का पटवारी** के पद पर पदस्थ था। न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर द्वारा खसरा नंबर 325/1, 326 एवं खसरा नंबर 329 के खाते की जानकारी की नकल चाही गयी थी कि उक्त खाता किसके नाम पर है, तब उसने जानकारी दिया था कि उक्त भूमि कृषक सुंदरलाल पिता महोदव प्रसाद कश्यप के नाम पर थी जिसका कुल रकबा 1.15 एकड़ था जिसका खाता नंबर 3086 वर्ष 2002–2003 में था तथा खाता नंबर 1020 ताराबाई पति

सुंदरलाल कश्यप के नाम पर थी जिसमें खसरा नंबर 329 का रकबा 1.53 एकड़ था, जिसमें **बी.1 किश्तबंदी** की नकल उसके द्वारा तहसीलदार बिलासपुर को दी गयी थी। उसके द्वारा दिया गया रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 है। अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यद्यपि यह स्वीकार किया है कि उसे जांच हेतु तहसीलदार बिलासपुर के द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था, किंतु इस साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में कोई खंडन नहीं हुआ है। प्रकरण में संलग्न **बी.1 किश्तबंदी खतौनी प्रदर्श पी.3** के अवलोकन से भी इस साक्षी के कथनों की पुष्टि होती है तथा यह तथ्य दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका में उल्लेखित खसरा नंबर 325/1, 326 एवं खसरा नंबर 329 आरोपी श्यामलाल के नाम पर दर्ज नहीं है, बल्कि उक्त भूमि अन्य के नाम पर दर्ज है, जिससे आरोपी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत ऋण पुस्तिका के फर्जी होने की उपधारणा होती है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के कथनों का कोई खंडन नहीं हो सका है।

11. अभियोजन की ओर से प्रार्थी होली सिंह से जप्त ऋण पुस्तिका की जप्ती के संबंध में साक्षी **ऋषि मुखर्जी(अ0सा0क01) एवं राजकुमार(अ0सा0क02)** का कथन न्यायालय में कराया गया है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने अपने समक्ष जप्ती के तथ्य से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा साक्षी ऋषि मुखर्जी(अ0सा0क01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.1 के अनुसार जप्ती उसके समक्ष हुई थी। यह

उल्लेखनीय है कि साक्षी **राजकुमार(अ0सा0क02)** का जप्ती पत्रक प्र.पी.1 में कोई हस्ताक्षर होना दर्शित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी **होलीसिंह** द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ज्ञापन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने एवं संबंधित ऋण पुस्तिका को थाना में प्रस्तुत किये जाने का कथन किया है तथा उक्त कथनों को कोई चुनौती प्रतिपरीक्षण में नहीं दी गई है। अतः जप्ती पत्रक के साक्षियों के के अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किये जाने मात्र से अभियोजन के प्रति कोई विपरीत अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

12. प्रकरण में विवेचक **रोशनी वासनिक(अ0सा0क05)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा दिनांक 05.11.2003 को न्यायालय के दांडिक प्रकरण कमांक 3609/2003 शासन विरूद्ध प्रवीण केसरी वगैरह में जमानतदार के रूप में उपस्थित श्यामलाल वल्द महोदव निवासी तेलीपारा बिलासपुर द्वारा फर्जी एवं कूटरचित ऋण पुस्तिका के आधार पर जमानत लेने के संबंध में कार्यवाही किये जाने बाबत् ज्ञापन के आधार पर आरक्षक होली सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराया गया। जमानत बंधपत्र के तस्दीक के समय यह पाया गया कि ऋण पुस्तिका संदिग्ध एवं कूटरचित है क्योंकि ऋण पुस्तिका के पृष्ठ कमांक 32 में छपने की तारीख माह सितम्बर 1994 अंकित है जबकि ऋण पुस्तिका में पटवारी एवं तहसीलदार की माह अगस्त 1992 में हस्ताक्षर होना दर्शाया गया है, अतः ऋण पुस्तिका कूट रचित एवं फर्जी तैयार कर जमानत लेने हेतु

उपयोग में लाना और झूठा शपथपत्र पेश किया जाना दर्शित होता है, उक्त आशय का ज्ञापन प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया गया जो **प्रदर्श पी.4** है।

13. इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि दिनांक 05.11.2003 को कोर्ट मोहर्रिर होली सिंह से एक ऋण पुस्तिका श्यामलाल पिता महोदव कश्यप पटवारी हल्का नंबर 110 मंगला का कमांक 92242 अंदर अतिरिक्त तहसीलदार के सील हस्ताक्षर किया तथा पटवारी का हस्ताक्षर किया, पृष्ठ 32 पर 9/94 लिखा है, जबकि पृष्ठ 10 पर दिनांक 10.08.92 लिखा गया है, को जप्त कर **जप्ती पत्रक प्रदर्श.पी.1** तैयार किया गया था। दिनांक 06.11.2003 को आरोपी श्यामलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी.5** तैयार किया गया, उसके पश्चात् दिनांक 08.01.04 को तहसीलदार बिलासपुर को जप्तशुदा ऋण पुस्तिका कमांक 92242 को तस्दीक कर रिपोर्ट दिये जाने बाबत् पत्राचार किया था, जो **प्रदर्श पी.6** है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 16.02.2004 को इस निवेदन के साथ पत्र लिखा कि संलग्न ऋण पुस्तिका का अवलोकन कर यह बताने की कृपा करें कि उक्त ऋण पुस्तिका आपके कार्यालय से जारी किया गया है अथवा आरोपी द्वारा झूठा सील हस्ताक्षर कर बनाया गया है। उक्त पत्र प्रदर्श पी.7 है। नायब तहसीलदार बिलासपुर से ऋण पुस्तिका की जांच बाबत् ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें ऋण पुस्तिका कमांक 92242 में दर्ज खसरा नंबर 326, 329 रकबा 0.58, 1.53 कभी भी श्यामलाल पिता महोदव के नाम पर दर्ज नहीं रही है, ऋण

पुस्तिका में दर्ज पटवारी हल्का नंबर 110 भी गलत दर्ज है तथा प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होती है। यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहे हैं तथा इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक की सत्यता के प्रति कोई विपरीत अनुमान लगाया जा सके।

14. इस प्रकार प्रार्थी आरक्षक होली सिंह के कथनों का समर्थन प्रथम सूचना पत्र से होता है तथा विवेचक के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण में यद्यपि संबंधित ऋण पुस्तिका एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ज्ञापन को विधिवत् प्रदर्शित नहीं कराया गया है किंतु उक्त दस्तावेज अभिलेख में संलग्न है तथा उक्त दस्तावेजों के बारे में विवेचक एवं अन्य साक्षियों के कथनों को कोई चुनौती अभियुक्त की ओर से नहीं दी गई है। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की धारा 466, 476, 474 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत की गई दोषसिद्धी की पुष्टि की जाती है।

15. जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिये गये दंडादेश का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि घटना वर्ष 2003 अर्थात् 15 वर्ष से भी अधिक पुरानी है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह दर्शित है कि

अभियुक्त लगातार लगभग प्रत्येक पेशी तिथियों में उपस्थित होता रहा है और उसका न्यायालय में आचरण भी ठीक रहा है। अभियुक्त की उम्र वर्तमान में लगभग 65 वर्ष होना दर्शित है तथा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभिलेख में नहीं है। उपरोक्त परिप्रक्ष्य में दण्ड के प्रश्न पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से अभियुक्त का 94 दिन अर्थात् तीन माह से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में होना दर्शित होता है। अतः अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की उम्र एवं प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को उसके द्वारा उपरोक्त अभिरक्षा में बिताई गई अवधि से ही दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना प्रतीत होता है। अतः विचारोपरंात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा–466, 476, 474 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दिये गये दंडादेश को संशोधित कर अपीलार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत कमशः **उसके द्वारा बिताई गई अभिरक्षा की उपरोक्त अवधि तक के कारावास से एवं 500–500/– रूपये के अर्थदंड से दंडित** किया जाता है। अभियुक्त को उपरोक्त दंडादेश एक साथ भुगताया जावे। यह उल्लेखनीय है कि अभिलेख के अवलोकन से अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष 500–500/– रूपये अर्थात् कुल 2,000/– रूपये अर्थदण्ड की राशि अदा किया जाना दर्शित है।

16. प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेजों का व्ययन विचारण न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय

के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

17. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र धारा 437 'ए' दण्ड प्रक्रिया संहिता के परिप्रेक्ष्य में 6 माह के लिये प्रवृत्त रहेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित

(ओमप्रकाश सिंह चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)

(ओमप्रकाश सिंह चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)